

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक भूखंडों के उप-वभाजन से संबंधित नई नीतियों को स्वीकृत मिली

चर्चा में क्यों?

17 जून, 2022 को उत्तर प्रदेश में नविश प्रोत्साहन व नई औद्योगिक इकाइयों के वसतिार के लिये औद्योगिक भूखंडों के उप-वभाजन की बहुप्रतीक्षित नई नीति (संशोधित) को मंजूरी दे दी गई।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीए) ने अपने बोर्ड की मंजूरी के बाद संशोधित नीति को कार्येत्तर अनुमोदन के लिये सरकार को भेज दिया है। साथ ही राज्य कैबिनेट की अनुमति की प्रत्याशा में इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। गाज़ियाबाद में लगभग 200-300 एकड़ अनुपयोगी पड़े बड़े भूखंड पर छोटे भूखंड बन कर दूसरे उद्यमियों को उपलब्ध हो सकेंगे।
- प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि बोर्ड ने ऐसे भूखंडों के उप-वभाजन की अनुमति का फैसला किया है, जिन पर कम-से-कम चार वर्ष से औद्योगिक इकाई संचालित है। कुछ मामले में शर्तों के साथ छूट का भी प्रावधान है।
- यदि उप-वभाजित क्षेत्र 25 एकड़ तक है तो इसके लिये गठित समिति की सफ़िराशि पर प्राधिकरण के सीईओ मंजूरी देंगे। यदि उप-वभाजित क्षेत्र 25 एकड़ से अधिक है, तो इसे प्राधिकरण बोर्ड मंजूरी देगा।
- प्राधिकरण ने नीति में उपखंड के लिये आवेदन की शर्तें, आंतरिक विकास, स्थानांतरण की प्रक्रिया, वभाजित भूखंड बेचने की शर्तें, रखरखाव कार्य, उप-वभाजित भूखंड पर इकाई के संचालन के लिये समय की अनुमति, उप-प्रभार शुल्क, उप-वभाजन शुल्क, उप-वभाजित भूखंडों के कॉन्फिगिरेशन व सेटबैक संबंधी प्रावधान भी किये हैं।
- इस नीति से सकरयि औद्योगिक इकाइयों के वसतिार, उपलब्ध अतिरिक्त भूखंड के औद्योगिक उपयोग के साथ उद्यमी परिवारों में तेज उद्यम वसतिार की राह खुलने की उम्मीद है।
- नीति के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं-
 - 4,000 वर्ग मीटर के वे भूखंड उप-वभाजित होंगे, जिन पर 4 वर्ष तक इकाई संचालित रही हो। भूखंड 18 मी. रोड पर होने चाहिये।
 - न्यूनतम 450 वर्ग मीटर के भूखंड सृजित किये जा सकेंगे।
 - आंतरिक विकास के लिये 18 से 36 महीने का चरणबद्ध समय दिया जाएगा।
 - आवंटित भूखंड का अधिकतम 75% उप-वभाजित किया जा सकेगा।
 - भूखंडों की बिक्री को 2 से 3 वर्ष का समय मलिया। इसके बाद समय वसतिार की सुवधि मलिया।
 - उप-वभाजन शुल्क प्रचलित दर पर 7.5 से 20% तक होगा। 50% अनुमोदन के समय व 50% पूरा करने पर देना होगा।
 - उप-वभाजित भूखंड पर एनसीआर में हस्तांतरण शुल्क प्रचलित दर का 15% व एनसीआर से अलग क्षेत्रों में 10% होगा।
 - कुछ शर्तों के साथ उप-वभाजित भूखंड के भी उप-वभाजन की सुवधि।
 - परिवार-साकषीदार से जुड़े भूखंड के वभाजन में उप-वभाजन की अरहता में छूट, कॉमन एरिया सरेंडर न किया जाए, तब तक रखरखाव।
- प्रदेश सरकार की वभिनिन नीतियों के तहत परभाषित 'मेगा या अधिक नविश' के तहत आने वाली परयोजनाओं के लिये भूखंड के उप-खंड के मामले में भी छूट दी जाएगी।